कार्यालय–निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001
फोन/फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

पत्रांक 4013/12-1 देहरादून, दिनांक 24, मई, 2022

सेवा में

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, 248001।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–179/2022 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांकः यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–557/2022/7902–1521, दिनांक 28.03.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–179/2022 वासुसिंह बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य में दिनांक 23.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रकरण मनसा देवी परिसर में दुकानदारों द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व में कूड़े के निस्तारण एवं टाइगर रिजर्व की 0.075है0 भूमि पर अतिकमण की शिकायत के निराकरण हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा नामित नोडल अधिकारी के प्रतिनिधि उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2022 को उक्त प्रकरण/प्रकरणों की स्थलीय संयुक्त जॉच कार्यवाही में निम्न अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री अमित कंवर, उप निदेशक, प्रतिनिधि नोडल अधिकारी, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
2. श्री अभय सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार।
3. श्री अवधेश कुमार सिहं, नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
4. डा0 अजीत सिहं, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, रूड़की।
5. श्री विजय सैनी, वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।
6. श्री अनिल शर्मा, ट्रस्टी सदस्य, श्री मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट।
7. श्रीमती स्वाति कालरा, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, नमामि गंगे, रूड़की।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी के नामित सदस्यों एवं मौके पर उपस्थिति क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 18.05.2022 को सम्पन्न स्थलीय संयुक्त जॉच /निरीक्षण की कार्यवाही के कार्यवृत्त की प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में संयुक्त कमेटी की स्थलीय संयुक्त जॉच /निरीक्षण रिर्पोट का कार्यवृत्त /कार्यवाही मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

(अखिलेश तिवारी)
निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

पत्रांक : 4013 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्न को उक्त विषयक कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 एन0जी0टी0, प्रधान शाखा, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक(प्रशासन), वन्यजीव सुरक्षा एवं आसूचना, उत्तराखण्ड को सादर प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5. श्री सुभाष चन्द्र पंवार, क्षेत्रीय अधिकारी,(प्र0) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की(हरिद्वार)।
6. वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।

(अखिलेश तिवारी)
निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

<u>कार्यवृत</u>

आज दिनांक 18.05.2022 को मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट कार्यालय में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या–179/2022 वासु सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभाग कियाः–

1. श्री अमित कंवर, उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
2. श्री अभय सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार।
3. श्री अवधेश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
4. डा0 अजित सिंह, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, रूडकी।
5. श्री विजय सैनी वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।
6. श्री अनिल शर्मा, ट्रस्टी सदस्य, श्री मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट।
7. श्रीमती स्वाति कालरा, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, नमामि गंगे, रूडकी।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 में गठित समिति को मनसा देवी परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर कचरे की डम्पिंग रोकने एवं अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उक्त निर्देश के क्रम में गठित समिति के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों द्वारा मनसा देवी मन्दिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर निम्न कार्यवाही की गयी :–

1. माँ मनसा देवी मन्दिर परिसर के आस–पास टीम के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें कि स्थाई एवं अस्थाई दुकानदारों एवं मन्दिर परिसर का तथा दिन प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के कारण मन्दिर परिसर के आस–पास वन क्षेत्र में जैविक तथा अजैविक कूडा दिखाई दिया, जिस पर टीम के सभी सदस्यों द्वारा मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट के सदस्य श्री अनिल शर्मा से इस सम्बन्ध में जानकारी जुटाई गयी जिस पर उनके द्वारा कहा गया कि मन्दिर ट्रस्ट द्वारा वर्तमान में मन्दिर परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु 4 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। समिति द्वारा मन्दिर परिसर के अलावा मन्दिर तक आने वाले पैदल मार्ग पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात करने हेतु कहा गया जिस पर मन्दिर ट्रस्ट सदस्य श्री अनिल शर्मा द्वारा मन्दिर परिसर एवं पैदल मार्ग पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 10 से 15 सफाई कर्मचारी तत्काल तैनात करने का आश्वासन दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज को निर्देशित किया गया कि वे मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट के माध्यम से सफाई की निगरानी करेंगें तथा नगर निगम से सम्पर्क कर समस्त कूडे का निस्तारण डम्पिंग जोन में कराना सुनिश्चित करेगें।

2. कमेटी के सदस्यो द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट के सदस्य श्री अनिल शर्मा द्वारा मनसा देवी मन्दिर परिसर, पैदल व सीढी मार्ग में जगह–जगह पर तत्काल कूड़ेदान रखवायें जाने हेतु आश्वासन दिया गया, ताकि मन्दिर में आने–जाने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा कूडा कूडेदान में ही डाला जा सके।
3. कमेटी के सदस्यो द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट के सदस्य श्री अनिल शर्मा द्वारा आश्वासन दिया गया कि इकट्ठे हुये कूडे को डम्पिंग जोन ले जाने हेतु एक वाहन की व्यवस्था की जायेगी, जिससे मनसा देवी मन्दिर परिसर से एवं मार्गो मे रखे गये कूड़ेदानों तथा आस–पास के वन क्षेत्रों से कूडा एकत्रित कर नगर निगम हरिद्वार के डम्पिंग ग्राउण्ड में डाला जायेगा।
4. कमेटी के सदस्यो द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट के सदस्य श्री अनिल शर्मा द्वारा आश्वासन दिया गया कि मनसा देवी मन्दिर को ग्रीन टेम्पल (Green Temple) के रूप में परिवर्तित करने हेतु आई0टी0सी0 कम्पनी द्वारा संचालित ग्रीन टैम्पल मिशन के अनुसार मन्दिर परिसर एवं दोनों रास्तो के आस–पास, वन क्षेत्र से कूडा इकट्ठा करवाना व कूड़े को जैविक व अजैविक श्रेणी में अलग–अलग किया जायेगा। मन्दिर ट्रस्ट द्वारा एकत्रित जैविक व अजैविक कूड़े का माप कर पंजिका में अभिलिखित किया जायेगा और जैविक कूड़े से खाद बना कर वन विभाग/राजाजी पार्क की नर्सरी में प्रयोग में लाया जायेगा।
5. कमेटी के सदस्यो द्वारा सुझाव दिया गया कि मन्दिर के परिसर, पैदल व सीढी मार्गो में जागरूकता हेतु स्थान–स्थान पर साईन बोर्ड लगाये जाये, जिन पर मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओ में मार्गो एवं वन क्षेत्र में कूडा न डालने की अपील/चेतावनी प्रकाशित की जाये। उक्त साईन बोर्ड में फ्लैक्सी बोर्ड का इस्तेमाल न करने के भी निर्देश दिये गये। साईन बोर्ड लगाने का कार्य भी मन्दिर ट्रस्ट द्वारा रेंज अधिकारी, हरिद्वार रेंज के निगरानी में किया जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर मन्दिर ट्रस्ट सदस्य श्री अनिल शर्मा द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
6. कमेटी के सदस्यों के द्वारा मनसा देवी मन्दिर मार्ग एवं वन क्षेत्र में कूडे की साफ–सफाई की निगरानी करने की जिम्मेदारी वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व को दी गई।
7. कमेटी के सदस्यों के द्वारा मन्दिर के पैदल/सीढी मार्गो एवं वन क्षेत्र में कूडा फैलाने वाले व्यक्तियों का वन्यजीव अधिनियम 1972 की सम्बधित धाराओं के अन्तर्गत वन अपराध दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व को निर्देशित किया गया।
8. कमेटी के सदस्यों के द्वारा सुझाव दिया गया कि मनसा देवी मन्दिर पैदल व सीढी मार्गो के किनारे वन क्षेत्र में कूड़े को फेंकने से रोकने हेतु उक्त दोनो मार्गो के दोनो ओर चैनलिंक फेसिंग का निर्माण तथा ऊपर टीन शैड़ का निर्माण किया जाना उचित होगा। जिससे वन क्षेत्र में कूडा फैलने से रोका जा सके। इस सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी,

हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व उक्त कार्य का प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर उचित माध्यम से बजट की मांग हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

9. कमेटी के सदस्यों के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार रेंज, मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट द्वारा मनसा देवी मन्दिर क्षेत्र में कार्य कर रहे स्थाई/अस्थाई दुकानदारों को पॉलीथिन, प्लास्टिक की पानी की बोतलों व अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देशित किया जाय।

10. कमेटी के सदस्यों द्वारा यह भी सूझाव दिया गया कि मन्दिर ट्रस्ट द्वारा अवशिष्ट प्रबन्धन एवं अतिक्रमण की रोकथाम और निगरानी हेतु पैदल मार्ग के प्रवेश द्वार, रास्ते एवं मन्दिर परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किये जाय, जिसका वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाय।

<u>**मनसा देवी मन्दिर परिसर में सत्संग भवन के चैनल गेट के आस–पास 0.075 है0 वन भूमि पर अतिक्रमण–**</u> कमेटी के सदस्यों को वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय गजट सं0 640/XIV-346-1939 दिनांक 16 मई 1940 के अन्तर्गत उल्लिखित शासनादेश सं0 390/14–39 सी दिनांक 22.05.1903 के द्वारा मनसा देवी मन्दिर चक के नाम से 40X40मी0 (कुल क्षेत्रफल 0.4 एकड) भूमि आवंटित की गई है, में 0.075 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमित क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में माह नवम्बर 2019 में अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध 11 वन अपराध रेंज केस (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 व 16/हरि0/2019–20) दर्ज कर दिये गये थे जिनमे जाँच अधिकारी द्वारा जाँच पूर्ण कर मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय हरिद्वार में दायर किये गये है, जो वहाँ पर विचाराधीन है। दिनांक 30.10.2021 को वन्यजीव प्रतिपालक, हरिद्वार, राजाजी टाइगर रिजर्व की अध्यक्षता में वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, विभागीय सर्वेयर राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून एवं सम्बन्धित क्षेत्र के स्टाफ के द्वारा मनसा देवी मन्दिर चक की 40X40वर्ग मी0 (कुल क्षेत्रफल 0.4 एकड) वन भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 40X40वर्ग मी0 (कुल क्षेत्रफल 0.4 एकड) चक से बाहर वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में सम्बधित अतिक्रमणधारियों द्वारा किये गये निर्माण को दिनांक 09.11.2021 में वन्यजीव प्रतिपालक, हरिद्वार, राजाजी टाइगर रिजर्व उपस्थिति में विभागीय कब्जे में ले कर सील करने की कार्यवाही की गई थी।

कमेटी के सदस्यों के द्वारा मनसा देवी मन्दिर में 0.075 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित दर्ज वन अपराध केसों में लिप्त व्यक्ति/संस्थाओं के विरूद्ध

तत्काल बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज को निर्देश दिये गये।

कमेटी के सदस्यों द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज को निर्देशित किया गया कि मनसा देवी मन्दिर परिसर के बाहर वन क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने हेतु विशेष प्रयास किये जाय, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

दिनांक 18.05.2022 को मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट कार्यालय में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या– 179/2022 में पारित आदेशों के अनुपालन में आहूत बैठक में कमेटी के सदस्यों के द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों/सुझावों पर मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य श्री अनिल शर्मा के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बैठक में लिये गये निर्णय/सुझावों को मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगणों के समक्ष अग्रिम बैठक में अवगत कराया जायेगा।

(अमित कँवर I.F.S.)
उप वन सरंक्षक/उप निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून।

पत्रांक– 543 /12-1 तददिनांकित। 21.05.2022
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार।
5. नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
6. प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, रूडकी।
7. वन्यजीव प्रतिपालक, हरिद्वार, राजाजी टाइगर रिजर्व।
8. वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।
9. श्री अनिल शर्मा, ट्रस्टी सदस्य, श्री मनसा देवी मन्दिर ट्रस्ट।
10. श्रीमती स्वाति कालरा, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, नमामि गंगे, रूडकी।

(अमित कँवर I.F.S.)
उप वन सरंक्षक/उप निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून।

बैठक

आज दिनांक 18.5.2022 को मंशा देवी मन्दिर समिति कार्यालय में मा० एन० जी० टी० द्वारा मूल आवेदन सं. 179/2022 में पारित आदेशों के अनुपालन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया—

1. अजित कंवर — उप निदेशक राजाजी टाइगर रिज़र्व। [signature]
2. अवधेश कुमार सिंह — नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार
3. Abhay Singh [signature] — Secretary, DLSA
4. Dr. Ajeet Singh [signature] — UKPCB, ROR
5. Swati Kalra — UKPCB, Namami Gange, ROR
6. VIJAY SAINI — R.O. Haridwar RTA [signature]
7. अनिल शर्मा — ट्रस्टी मंशा देवी [signature]